

**TENDER DOCUMENT**  
निविदा दस्तावेज



**FOR THE WORK**  
कार्य हेतु

वनगश्ती हेतु चार पहिया वाहनों की सेवा हेतु

**कार्यालय**

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी ( म.प्र.)

**प्रथम निविदा आमंत्रण**

खंड - I

## ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन

### कार्यालय सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या [2026\_MPFD 4898631 /ई-टेंडरिंग/2026-27 दिनांक 12/03/2026

- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल डिण्डौरी द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के अन्तर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	विवरण	स्पेशिफिकेशन	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1.	वनमण्डल अंतर्गत 10 वन परिक्षेत्रों हेतु किराये से चार पहिया वाहन वन सुरक्षा गश्ती कार्य हेतु	वाहन का प्रकार (बोलेरो) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2023 के बाद का होना चाहिए	2,16,000	1,000/-
2	चार / छः पहिया वर्ष 01-01-2023 के बाद का कार्य की आवश्यकतानुसार			

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 12/03/2026 Time 06:00 Pm बजे से दिनांक 01/04/2026 /03/2026 Time 06:00 Pm बजे तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल: <https://www.mptenders.gov.in/>

  
वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

## खंड-॥

### निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

#### अ. महत्वपूर्ण तिथियां / सामान्य जानकारी

क्रमांक	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	डिण्डौरी वनमण्डल अंतर्गतवन सुरक्षा कार्यों के गश्ती कार्यों हेतु मासिक किराया दर की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	[2026_MPFD <u>489863-1</u> ]
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000/- प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	2,16,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	2,16,000/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	72,00,000/-
8	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	Nil
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि)	/03/2026 06:00 PM <u>01/04/2026</u>
10	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	/03/2026 12:00 PM <u>04/04/2026 10:30AM</u>
11	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	/ /2026 12:00 PM
12	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा <a href="https://mptenders.gov.in/">https://mptenders.gov.in/</a> पर करें

- निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
- निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल के बीच आपसी सहमति के अधीन बदली जा सकती है।
- वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी वनमण्डल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर०एफ०पी०) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की

भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

4. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।



वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

## ई-निविदा सूचना

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी हेतु मासिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

- ❖ निविदा प्रपत्र राशि ₹1000/- (राशि रु. एक हजार मात्र) का ऑनलाईन भुगतान कर 12/03/2026 को प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 01/04/2026 / 03/2026 को सांय 06:00 बजे तक <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है
- ❖ यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने/खोलने हेतु निर्धारित तिथी को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में पूर्ण की जायेगी।
- ❖ वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
- ❖ निविदा से संबंधित संशोधन एवं अन्य जानकारी <https://mptenders.gov.in/> पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

  
वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

## ई-टेंडरिंग प्रणाली के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु दिशा निर्देश

1. निविदा में भाग लेने के इच्छुक फर्म्स/कम्पनियों/संस्थानों को सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीयन <https://mptenders.gov.in> पोर्टल पर करना होगा जिसके आधार पर निविदाकार द्वारा वनमण्डल डिण्डौरी की ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जा सकेगा। यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात निविदाकार म.प्र. शासन के किसी भी ई-निविदा प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है।
2. ई-पेमेंट के द्वारा निविदाकार को भुगतान करना होगा।
3. निविदा प्रतिभूति राशि जो निर्धारित की गई है जिसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के पक्ष में जमा करना होगा। जो 01 वर्ष की लॉक-इन अवधि हेतु स्वीकृत होगी।
4. निविदाकार वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पोर्टल पर लॉग-इन करके अमानत राशि जमा करके ई निविदा में भाग ले सकेंगे। निविदाकार स्वयं यह आश्वस्त कर ले कि वह ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है।

# निविदा की शर्तें

## भाग 1 – कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण

### 1. कार्यात्मक आवश्यकतायें :-

- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी द्वारा एक वर्ष के लिये मासिक आधार पर 12 किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई-टेंडरिंग प्रणाली से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
- अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार वाहनों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती है तदनुसार अनुबंधकर्ता को अनुबंध की शर्तों तथा दरों के अनुरूप ही वाहन उपलब्ध कराये जाने होंगे।
- अनुबंध होने के उपरांत अनुबंधित संस्था/निविदाकार द्वारा कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी को उपलब्ध कराये गये वाहन किसी अन्य को किराये पर उपलब्ध (Sublet) नहीं कराये जावेंगे।
- मासिक आधार पर वाहन की दर 2000 से 2500 किमी (ईंधन एवं वाहन चालक सहित) मासिक रनिंग के आधार पर दी जावे।

### 2. तकनीकी आवश्यकतायें :-

निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त निविदाकार (Bidders) को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव अमान्य कर दिया जावेगा :-

- 1- निविदा प्रतिभूति राशि 2,16,000/- (रु. दो लाख सोलह हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा। यह राशि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के नाम से देय हागी।
- 2- निविदाकार (Bidders) को Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाना होगी।
- 3- निविदाकार (Bidders) को किसी शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है ( इस हेतु मासिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा)।
- 4- निविदाकार द्वारा (Bidders) आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN Card) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।
- 5- निविदाकार (Bidders) का वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Sarvice Tax) प्रदाता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Sarvice Tax) संबंधी पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

- 6- वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ( RTO ) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 7- निविदाकार (Bidders) के पास कम से कम 05 वाहनों का स्वामित्व एवं 07 वाहनों हेतु अनुबंध की शर्तों को मानने वाले अन्य वाहन मालिकों के साथ 02 वर्ष का करार (Contract) होना आवश्यक है। इस हेतु अनुबंधित वाहनों के पंजीयन की प्रति तथा अन्य वाहन मालिकों के साथ करार (Contract) की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।
- 8- विगत 03 वर्षों (2024, 2025 तथा 2026) का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर रूपये 50 लाख से अधिक होने का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
- 9- निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे।

## भाग 2 – अन्य सामान्य शर्तें

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का माडल दिनांक 01.01.2023 से पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन में जी.पी.एस.(जीपीएस) उपकरण का होना अनिवार्य है।
3. वाहन में Front & Rear कैमरे गश्ती के दौरान घटनाओं को Capture करने के लिये लगा होना अनिवार्य है। जिसकी स्टोरेज क्षमता न्यूनतम 1TB हों।
4. किराये की अवधि में वाहन में ईंधन प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट, बैटरी, टायर-ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।
5. किराये पर दिये जाने वाले वाहन में आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक अतिरिक्त कल-पुर्जे (Spare Parts) यथा फेन बेल्ट, स्टेपनी-व्हील, बल्ब ,फ्यूजेज ,जैक ,स्टैन्डर्ड टूल्स ,फर्स्ट-एड बॉक्स आदि सदैव उपलब्ध रखना होगा।
6. वाहन स्वचालित (Self start) होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये के टायर-ट्यूब अच्छे होना चाहिए व माईलोमीटर हमेशा चालू एवं शून्य त्रुटि का होना अनिवार्य है, इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। मासिक दर के आधार पर वाहन को एक दिवस के लिए सर्विसिंग कार्य के लिए छूट इस शर्त पर दी जावेगी कि इसके स्थान पर अन्य वाहन, वाहन प्रदाता द्वारा कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी को उपलब्ध कराया जावेगा।
7. वाहन प्रदाता द्वारा वाहन चालक के माध्यम से वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, समस्त करों की भुगतान रसीदें, व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमति पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति भण्डार शाखा में एवं एक प्रति हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन चालक को बदलने की स्थिति में सूचना मय आवश्यक कागजात के वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी एवं भण्डार को देना आवश्यक होगा।
8. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

9. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को समान्यतः दो घण्टे से अधिक वाहन पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
10. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई निष्पादन प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जब्त की जा सकेगी और आने वाले 1 वर्ष के लिए वाहन की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
11. माईलोमीटर की गडबडी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सडक मार्ग को निर्धारित दूरी मान्य की जावेगी।
12. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा।
13. बीओक्यू में उल्लेखित 24X7 के मासिक रूप से वाहन उपलब्धता में वाहन प्रदायकर्ता को समस्य शासकीय नियमों का पालन करते हुए आवश्यक वाहन चालकों को संलग्न करना होगा। वाहन चालक की कर्तव्य अनुपस्थिति पर वैकल्पिक चालक भेजना आवश्यक होगा। चालक/वैकल्पिक चालक की अनुपस्थिति पर कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी द्वारा राशि रू. 1000/- प्रतिदिन के मान से कटोत्रा देयक में से किया जावेगा।

## सफल अनुबंधकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन चालक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :-

1. यात्रा वाहन चालक अनुभवी एवं शारीरिक रूप से सक्षम (Fit) होना चाहिये। वाहन चालक की eyesight तथा reflexes उत्तम होना चाहिये।
2. वाहन चालक के पास नियमानुसार वाहन चलाने का वैध व्यवसायिक ड्रायविंग लायसेंस एवं आधार नम्बर होना अनिवार्य है।
3. वाहन चालक को डिण्डौरी शहर के मार्गों, स्थानों एवं विभिन्न शासकीय कार्यालयों की स्थिति का समुचित ज्ञान होना चाहिये। यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जाया जायेगा। वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करें।
4. वाहन प्रदाता को हर समय वाहन चालक को कार्य करने के लिए तैयार रहने का आदेश देना आवश्यक है।
5. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा। यह कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगा। वाहन चालक हेतु अन्य वैधानिक पंजीयन कराना वाहन स्वामी के लिए अनिवार्य होगा।
6. वाहन चालक की ड्यूटी 24X7 के मासिक रूप में संबंधित अधिकारी के आधीन होगी। वाहन संबंधित अधिकारी के निवास पर रहेगा, वाहन रखने की जगह न होने की स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता/संस्था वाहन रखने की व्यवस्था स्वयं करेगी।
7. वाहन की समय-समय पर सर्विसिंग, रख-रखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित संस्था एवं वाहन चालक की होगी।
8. वाहन चालक वाहन उपयोगकर्ता के प्रति विनम्र होगा एवं ड्यूटी के समय निर्धारित वर्दी पहनेगा साथ ही पान, बीडी-सिगरेट, शराब एवं तम्बाकू का सेवन नहीं करेगा।
9. वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।
10. वाहन चालक को सड़क यातायात नियम/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। सड़क यातायात नियमों को तोड़ने की स्थिति में होने वाले आर्थिक-दंड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का वाहन अनुबंधकर्ता को ही किया जाना होगा।
11. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी या वाहन प्रभारी से प्रतिदिन माइलोमीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग-बुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉग-बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. वाहन चालक को नियमों-अधिनियमों के तहत पारिश्रमिक का भुगतान अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा किया जावेगा।
13. विभाग की आवश्यकता अनुसार वाहन चालक को वाहन समयावधि से अधिक एवं जिले से बाहर भी चलाना पड़ सकता है। मांग किए जाने के एक घंटे के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होगा।
14. निविदाकर्ता को समस्त संवैधानिक बंधनों (Obligations) यथा अनुबंध श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा कर अधिनियम, Minimum wages Act एवं अन्य प्रभावशील अधिनियम जो अनुबंध के समय प्रचलित हैं तथा जो भविष्य में प्रभावशील होंगे उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
15. सफल निविदाकार के साथ किये जाने वाले अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिये न सिर्फ अनुबंधकर्ता बल्कि अनुबंधकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि (वाहन चालक सहित) भी जिम्मेदार होंगे।

16. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता या वाहन चालक द्वारा दुर्घटना के संबध में भंडार शाखा वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डलाधिकारी डिण्डौरी को तत्काल अवगत कराया जावेगा।
17. अनुबंधकर्ता अपनी जोखिम पर वाहनों का प्रचालन करेगा। वाहनों के प्रचालन करते हुये वाहन या व्यक्ति (Travelling) के साथ होने वाली घटना/दुर्घटना के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
18. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख को होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
19. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. सफल निविदाकर्ता L1 के द्वारा वित्तीय बिड में उल्लेखित वाहनों में से आवश्यकतानुसार किसी भी वाहन की मांग मासिक पर कार्यालय द्वारा किये जाने पर उस वाहन को उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त वाहन को कार्यालय अन्य संस्थाओं से किराये पर लेने हेतु स्वतंत्र होगा।
21. वाहन आवश्यकता/मांग के अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र-भ्रमण हेतु समय-समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों को आवश्यकता/मांग अनुसार मासिक किराये पर लिये जा सकते हैं। वाहन आवश्यकतानुसार डिण्डौरी से बाहर भी सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे।
22. उन्हीं निविदाकारों की निविदायें मान्य की जायेंगी, जो किराये के वाहनों का व्यवसाय करते हों। वाहनों को किराये पर मुख्यतः मासिक आधार पर लिया जायेगा।
- 22.1 निविदायें न्यूनतम 2000 से 2500 कि.मी. प्रतिमाह मासिक आधार पर वाहन किराये की दरें आमंत्रित की जा रही हैं उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी प्रपत्र 1, 2, 3, एवं 4 के रूप में संलग्न है। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जावे, अन्यथा आपकी निविदा पर विचार किया जाये अथवा नहीं यह अधिकार कार्यालय को होगा। जो वाहन मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर अधिकारियों को आवंटित होंगे, उन आवंटित वाहनों का उपयोग मुख्यालय से बाहर भी शासकीय भ्रमण हेतु किया जावेगा।
- 22.2 मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर अधिकारियों को आवंटित वाहनों के द्वारा किये जाने वाले शासकीय भ्रमणों के देयकों का भुगतान 2000 से 2500 कि.मी. की सीमा के उपरांत ही मासिक आधार पर किया जावेगा।
23. मान्य दरें आगामी 01 वर्ष के लिए लागू रहेंगी। अनुबंध की अवधि को कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी द्वारा आपसी सहमति से 01 वर्ष हेतु बढ़ायी जा सकेगी।
24. शासकीय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल-टैक्स आदि का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिभूति की जायेगी।
25. नियमों के अनुसार जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. (Tax Deduction at Source) की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।
26. वाहन 24 घंटे विभाग के अधीन रहेगा।

### भाग 3:- वित्तीय विनिर्देश

3. **निविदा प्रक्रिया-** निविदा प्रपत्र का मूल्य- निविदा फार्म, शर्तें एवं प्रपत्र की प्रति मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> एवं विभागीय वेब साइट <https://www.mpforest.gov.in> से दिनांक 12 / 03 / 2026 से दिनांक 01 / 04 / 2026 तक समय शाम 06:00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज शुल्क रु. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) ई-भुगतान के रूप में मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://mptenders.gov.in/> में जमा करना आवश्यक है।

3.1 **निविदा दस्तावेज-** निविदाकार को निविदा में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।

1. प्रपत्र - 1 सूचना पत्र।
2. प्रपत्र - 2 घोषणा पत्र।
3. प्रपत्र - 3 निविदा प्रतिभूति राशि की जमा रसीद।
4. प्रपत्र - 4 निविदा की शर्तें एवं नियम से सहमति पत्र।
5. प्रपत्र - 5 निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी।
6. प्रपत्र - 6 निविदाकार द्वारा वाहन प्रदाय की जाने वाली वाहनों की जानकारी।

( जिन दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है, उन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एवं निविदा प्रतिभूति राशि ऑनलाईन जमा करने की पावती कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी की भण्डार शाखा में जमा करना होगा। तकनीकी बिड खोले जाते समय संस्था या प्रतिनिधि मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों सकते हैं, ताकि मूल दस्तावेजों का मिलान करते हुये सत्यापन किया जा सके)

3.2 **वित्तीय बिड :-** निविदा हेतु वित्तीय बिड (Price Bid) में बीओक्यू के अनुसार मासिक आधार पर दरें प्रस्तुत करनी होगी।

निविदाकार को निविदा से संबंधित अभिलेख को ऑनलाइन जमा करना होगा, साथ ही अंतर्गत चाहे गये दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के भंडार कक्ष में जमा करने होंगे।

3.3 **निविदा प्रक्रिया का निरसन** - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी को बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। निरसन की स्थिति में निविदा प्रपत्रों की राशि वापस नहीं की जायेगी।

3.4 **निविदा प्रतिभूति राशि** - निविदा प्रतिभूति राशि 2,16,000/- (रूपये दो लाख सोलह हजार मात्र) को वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के नाम तक सभी संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

3.5 **निविदाओं का मूल्यांकन** – ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://mptenders.gov.in/> के माध्यम से प्राप्त निविदा की तकनीकी बिड प्रपत्र-अ-1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 में संलग्न दस्तावेजों का वनमण्डल में गठित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं अर्हताएं पूरी न करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव निरस्त करने की अनुशंसा की जायेगी तथा तकनीकी रूप से वैध निविदाकारों की प्राईस बिड (Price Bid) ऑनलाईन खोलने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः निविदाकार को चाहिये कि जानकारी प्राप्त करने हेतु निविदा में अपनी संस्था का E-mail पता आवश्यक रूप से अंकित करे।

#### 4. **निविदाकारों की अर्हतायें** – 4.1 **तकनीकी प्रस्ताव** –

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से प्रस्तुत निविदा में तकनीकी बिड के अन्तर्गत निम्नानुसार दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा –

1. निविदाकर्ता को परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा। स्वामित्व/भागीदारी/कम्पनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो। निविदाकार के एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट )।
2. वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र।
3. निविदा प्रतिभूति राशि 2,16,000/- (रु. दो लाख सोलह हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज।
4. शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (इस हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी) शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
5. निविदाकार (Bidders) को आयकर के स्थायी लेखा संख्या ( PAN Card ) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।
6. निविदाकार (Bidders) का वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु Goods & Sarvice Tax हेतु पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।
7. निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे।

4.2 **वित्तीय प्रस्ताव** – निविदाकर्ता द्वारा निविदा में घोषित राशि में निविदा कार्यों के सम्पादन करने वाले सभी कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर, लेबर, पंजीयन शुल्क, विभिन्न प्रकार के समस्त कर इत्यादि सम्मिलित होंगे। इसका कोई भी भुगतान अलग से कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा। मासिक आधार पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली दरों में डीजल,वाहन चालक, संधारण टैक्स एवं सभी प्रकार के अन्य प्रचलित कर सम्मिलित होंगे

4.3 **हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा** – निविदाकर्ता को निविदा की शर्तों एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा।

4.4 **निविदा प्रस्ताव के वैधता की अवधि** – अनुबंध की अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। 01 वर्ष पश्चात् यदि सेवाएँ सफलतापूर्वक कार्य अनुरूप निष्पादित पाई जाती है तो अनुबंध की अवधि दोनों पक्षों की सहमति से आगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम एक वर्ष के लिए समस्त शर्तों पर अनुबंध बढ़ाया जा सकता है।

- 4.5 दरें — दरों का उल्लेख केवल वित्तीय प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर होना चाहिये। दरें भारतीय रूपये में एक रूपये के गुणांक में होना चाहिये। (दरों की प्रविष्टि ऑनलाईन की जाये)
- 4.6 अपात्रताएं — निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त को पूर्ण न करने पर निविदाकार स्वतः अपात्र माना जायेगा।
- 4.7 शर्तों की ग्राह्यता की संतुष्टि — जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगा उसके संबंध में यह भी माना जावेगा कि उसने उक्त सभी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ ली एवं समझ ली हैं। वे सभी शर्तें उसे स्वीकार हैं तथा उन्हीं शर्तों के अंतर्गत उसने निविदा प्रस्तुत की हैं।

## 5. अनुबंध का निष्पादन

- 5.1 अनुबंध का नोटीफिकेशन — निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर निर्धारित शुल्क के ( म.प्र. राजपत्र क्रमांक 250 दिनांक 09-09-25 के अनुच्छेद 6(1) ड (2)) गैर-न्यायिक स्टैम्प पर अनुबंध निविदा स्वीकृति से 07 दिवस के अन्दर करना होगा। निविदाकर्ता के द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
- 5.2 अनुबंध में हस्ताक्षर — दोनों पक्षों के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर के उपरांत ही अनुबंध पूर्ण माना जाएगा।

## 6.3 बैंक गारंटी:-

1. निविदाकार को निविदा के साथ निविदा प्रतिभूति राशि 2,16,000/- (रु. दो लाख सोलह हजार मात्र) वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी के नाम से डिपोजिट फ्लैग करना होगा, जो निष्पादन प्रतिभूति राशि का FDR प्राप्त होने पर वापस कर दी जायेगी।
2. अनुबंधकर्ता निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि रूपये 2,16,000/- (रु. दो लाख सोलह हजार मात्र) धनराशि का FDR जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार कर वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी के नाम बैंक गारंटी के रूप में जमा कराना होगा। जो अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी।
3. निविदा स्वीकृति आदेश से 01 वर्ष के लिये यह व्यवस्था होगी, यदि संस्था/एजेंसी निविदा शर्तों के अनुरूप कार्य संपादित करने में असफल होती है या समय पूर्व अनुबंध तोड़ देती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि रूपये 2,16,000/- (रु. दो लाख सोलह हजार मात्र) को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा।
4. यदि सफल निविदाकार अपने निविदा प्रस्ताव को निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वापस ले लेता है अथवा अनुबंध का पालन करने से इंकार कर देता है अथवा निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है तो निविदा प्रतिभूति राशि को राजसात किया जा सकता है।
5. यदि सफल निविदाकार सौंपे गये कार्य को करने में असफल रहता है या कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात अपनी ऑफर वापस ले लेता है तो निविदा प्रतिभूति राशि को राजसात किया जा सकता है।
6. असफल निविदाकारों की निविदा प्रतिभूति राशि की राशि को अन्य निविदा स्वीकार करने के उपरांत वापस कर दिया जायेगा।

- 6.4 **सेवाएं एवं वारंटी** – कार्य स्थल पर निविदाकार तथा उसके कर्मचारी शराब या अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे तथा उनका व्यवहार जनता एवं कर्मचारियों के प्रति सौम्य एवं नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मों को हटाना या गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने संबंधी पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी को होगा।
- 6.5 **पेनाल्टी** – यदि वाहन चालक निर्धारित समय पर वाहन के साथ उपस्थित नहीं होता है एवं बगैर सूचना के अनुपस्थित रहता है जिसकी शिकायत संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा की जाती है तो उस माह के देयक से रु. 1000 प्रति दिवस की दण्डित कटौती की जाएगी एवं कार्यालय में मासिक दर पर लगाए गए वाहन के निरीक्षण/आंकलन के दौरान वाहन ठीक हालत में न पाए जाने पर प्रति कार्य दिवस के मान से मासिक देयक से अधिकतम 5 प्रतिशत की राशि कटौती के रूप में काटी जा सकेगी एवं शिकायत की तीन से अधिक बार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
- 6.6 **अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन** – निविदाकार के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद न होने पर या शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मों को हटाने एवं गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी, इसका पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी को होगा।
- 6.7 वनमण्डलाधिकारी कार्यालय परिसर में सफल निविदाकार के अनुबंधित वाहनों की अवकाश वाले दिवस एवं रात्रि में पार्किंग नहीं की जा सकेगी। ड्यूटी टाइम पूरा होने के पश्चात अनुबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के निवास पर रखे जायेंगे निवास पर स्थान न होने की स्थिति में फर्म द्वारा स्वयं वाहन के रखने की व्यवस्था की जायेगी किन्तु किसी भी स्थिति में कार्यालय परिसर में वाहन नहीं रखा जायेगा। अनुबंधित वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था निविदाकार की होगी उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर निविदाकार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 6.8 कार्यालय परिसर में अनुबंधित वाहन चालकों का अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।
- 6.9 वनमण्डलाधिकारी के अधिनस्थ कार्यालयों हेतु मासिक दर पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध में जो दरें अनुमोदित होंगी, उन दरों पर अन्य अधिकृत ट्रेवल एजेंसी से आपवादिक परिस्थिति में किराये पर वाहन लिये जाने हेतु सफल निविदाकर्ता को लिखित में सहमति देनी होगी।
7. **भुगतान** – अनुबंधकर्ता द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत आगामी माह की 10-15 तारीख तक किराए पर लिए गए वाहनों की संख्या के मान से वाहन उपयोगकर्ता के द्वारा देयक एवं लॉग-बुक प्रमाणित करा कर देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय

द्वारा परीक्षण उपरांत इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक खाता (अकाउंट) जो NPCI में लिंक हो में आधार बेस भुगतान किया जायेगा।

8. विवाद का निराकरण— किसी भी विवाद एवं शर्तों की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य डिण्डौरी के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियां उद्भूत होने पर प्रकरण डिण्डौरी स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

  
वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डलाधिकारी

**प्रपत्र-1**

//सूचना पत्र//

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनण्डल डिण्डौरी

विषय – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी के अधिनस्थ कार्यालयों हेतु मासिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा के संबंध में।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र ..... में प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ है कि वनमण्डलाधिकारी के अधिनस्थ कार्यालयों मासिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई हैं। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं :-

- 1- आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN Card) की वैध प्रति ।
- 2- निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट )।
- 3- शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (इस हेतु मासिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी ) प्रमाणपत्र।
- 4- वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods & Sarvice Tax) के रूप में पंजीकरण की प्रति ।
- 5- वैध बैंक खाते एवं आधार के ब्यौरे ।
- 6- वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर : .....

स्थान: .....

फर्म का नाम : .....

E-Mail . .....

प्रपत्र - 2

//घोषणा पत्र//

1. मैं/हम नाम/फर्म का नाम ..... भारत का/के नागरिक हूँ/हैं। (आगामी बिन्दुओं में मैं/हम अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ता के लिए प्रयुक्त होगा)।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्यों के लिए म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे ठेकेदार जो कि, म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो के ना तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त वाहन एवं वाहन चालकों के कार्य की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य किया जावे।
7. मैं/हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूंगा/करेंगे।

दिनांक :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम : .....

पूरा पता : .....

फोन एवं मो. नं. ....

E-Mail . ....

## प्रपत्र – 3 निविदा प्रतिभूति राशि

कार्य का नाम :-

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी के अधिनस्थ कार्यालयों हेतु मासिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।

—00—

निविदा प्रतिभूति राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में निविदा प्रतिभूति राशि/निविदा प्रतिभूति राशि दस्तावेज पर उल्लेख करते हुये रखने हेतु। अनुबंध हेतु जमा निविदा प्रतिभूति राशि से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर का विवरण :-

क्र.	ऑनलाईन जमा रसीद क्र.	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	जारी होने का दिनांक	वैधता अवधि

कार्य का नाम : .....

निविदा क्रमांक एवं दिनांक : .....

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

फोन एवं मो. नं. ....

E-Mail . ....

**प्रपत्र -4**

/निविदा की शर्तों एवं नियम से सहमति पत्र/

//सहमति पत्र//

मैं ..... पुत्र .....

वास्ते फर्म ..... आपके कार्यालय द्वारा विज्ञापित निविदा में भाग लेना चाहता हूं। मेरे द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://mptenders.gov.in/> के माध्यम से जारी निविदा की शर्तों के अंतर्गत भाग 1 एवं 2 में वर्णित कंडिका क्र. 1 से 7 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूं (निविदा की शर्तों एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाकर प्रस्तुत) एवं यदि मेरी निविदा मान्य की जाती है तो कार्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूं।

**निविदाकार के हस्ताक्षर**

नाम .....

पता .....

**प्रपत्र -5**

// निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी //

**निविदाकार का नाम :-** .....

क्र.	तकनीकी मापदण्ड	रिमार्क
1.	निविदा प्रतिभूति राशि 2,16,000/- (रु. दो लाख सोलह हजार मात्र) को ऑनलाईन जमा किये जाने की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।	
2	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की प्रति।	
3	वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods and Sarvice Tax) हेतु पंजीयन की प्रति।	
4	पेन नम्बर की छायाप्रति	
5	वाहनो का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ( RTO ) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबधी आवश्यक प्रमाणपत्र ।	
6	निविदाकार (Bidders) को <b>Tour – Taxi Operator</b> या <b>Travel Agency</b> के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होना का प्रमाण	
7	शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबधी ) शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें।	
8	निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।	
9	निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट )।	
10	वाहन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज।	

नोट :- निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका अनुबंध निरस्त करने तथा निविदा प्रतिभूति राशि अथवा निष्पादन प्रतिभूति राशि को राजसात करने का पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी म.प्र. को होगा।

निविदाकार का नाम : .....

हस्ताक्षर ..... दिनांक .....

फोन नं..... मोबाइल .....

ई-मेल .....



Validate

Print

Help

Item Wise BoQ

Tender Inviting Authority: कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल डिण्डौरी

Name of Work: वन सुरक्षा कार्यो के गश्ती कार्यो हेतु मासिक किराया दर की निविदा

Contract No: 07644-234400

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :

## PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only.)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Item Code / Make	Quantity	Units	Estimated Rate in Rs. P	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST (If applicable in Percentage)	GST Amount in Rs. P	TOTAL AMOUNT excluding taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT including taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	* 12	13
1	वन गश्ती कार्य हेतु मासिक किराये पर वाहन										
1.01	वाहन का प्रकार (बोलेरो) वाहन का मॉडल वर्ष 01-01-2023 के बाद का	Dindori	12.00	वाहन	72,00,000.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.02	चार / छः पाहिया वर्ष 01-01-2023 के बाद का कार्य की आवश्यकतानुसार	Dindori	1.00	वाहन कि.मी.	0.00			0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures									0.00	0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words									INR Zero Only		